

विज्ञापन

संख्या : 12011/02/2008-रा.भा.(का.-2)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना : वर्ष 2008-09

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं से संबंधित विषयों पर उच्च स्तर के मौलिक हिंदी लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित हैं।

1. पात्रता एवं शर्तें :

- (1) पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की किसी विधा पर लिखी हो सकती है। उदाहरणार्थ :-
 - (i) इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जैव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि।
 - (ii) समसामयिक विषय- जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद,, मानवाधिकार, प्रदूषण आदि।
- (2) योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।
- (3) भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है।
- (4) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।
- (5) जिस वर्ष के लिए प्रविष्टि आमंत्रित की गई है उससे पिछले तीन वर्षों में यदि किसी व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत कोई पुरस्कार मिल चुका होगा तो उसकी प्रविष्टि संबंधित वर्ष के लिए विचारणीय नहीं होगी।
- (6) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो।
- (7) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्ट पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- (8) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।
- (9) ऐसी पुस्तकें जिन पर कोई भी अन्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए सम्मिलित नहीं की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो यह आवश्यक होगा कि इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।

2. पुरस्कार :

प्रथम पुरस्कार (एक)	-	दो लाख रूपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
द्वितीय पुरस्कार (एक)	-	एक लाख पच्चीस हजार रूपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
तृतीय पुरस्कार (एक)	-	पचहत्तर हजार रूपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
सांत्वना पुरस्कार (दस)	-	दस हजार रूपए प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रत्येक को,

3. प्रविष्टि भेजने की विधि :

- (i) प्रविष्टियां अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा
- (ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें । पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी ।
- (iii) एक लेखक विचारार्थ एक से अधिक प्रविष्टियां भेज सकता है बशर्ते कि उसकी विषय-वस्तु परस्पर भिन्न हो ।
- (iv) प्रविष्टियां 20 अगस्त, 2009 या इससे पूर्व तक डाक द्वारा राजभाषा विभाग में पहुँच जानी चाहिए ।
- (v) प्रविष्टि भेजने का पता :- अनुसंधान अधिकारी(कार्यान्वयन), कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, द्वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003.
- (vi) निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

4. मूल्यांकन समिति :

- (i) प्रविष्टियों पर एक मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।
- (ii) प्रविष्टियां भेजने वाले लेखकों के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में नहीं लिए जाएंगे ।
- (iii) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले ।
- (iv) मूल्यांकन समिति मूल्यांकन के मानदण्ड स्वयं निर्धारित करेगी ।
- (v) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा । यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हों तो, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

5. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण :

- (i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी ।
- (ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा । पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान के बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार ग्रहण करने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया मिलेगा तथा ठहरने के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

6. सामान्य :

- (i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कापीराइट बना रहेगा ।
- (ii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।
- (iii) मूल्यांकन समिति का निर्णय अन्तिम होगा ।
- (iv) इस योजना के बारे में सूचना राजभाषा विभाग की वैबसाइट <http://rajbhasha.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

7. विनियम शिथिल करने का अधिकार :

जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

प्रपत्र

राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना - वर्ष 2008-09

1. पुस्तक का नाम
2. पुस्तक योजना के किस पहलू/विषय के बारे में है
3. (i) लेखक/लेखकों का नाम.....
(ii) पूरा पता(पिन कोड सहित).....
(iii) दूरभाष/फैक्स संख्या.....
(iv) ई-मेल का पता
4. (i) प्रकाशक का नाम
- (ii) प्रकाशक का पूरा पता.....
- (iii) मूल्य.....
- (iv) प्रकाशन वर्ष.....
- (v) कापीराइट किसके अधीन है.....
5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजा गया था ? यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें:
(क) किस वर्ष में भेजी गई.....
(ख) किसे भेजी गई(पूरा पता).....
(ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा दें.....
6. क्या लेखक को राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें -
(i) पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का नाम.....
(ii) वर्ष जिसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ.....
(iii) प्राप्त पुरस्कार की राशि.....
(iv) वर्ष जिसमें पुस्तक प्रकाशित हुई.....
(v) प्रकाशक का पूरा पता.....
(vi) पुस्तक का मूल्य.....
7. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि
(i) मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं ।
(ii) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।
(iii) मेरी/हमारी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है ।

मैं/हम बचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी/करेंगे.

स्थान:.....

दिनांक:.....

लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर.....

नोट :- इस प्रपत्र को उचित प्रकार भरकर पुस्तक की तीन प्रतियों सहित ' अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, द्वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003' को भेजा जाए ।

ADVERTISEMENT

No.12011/02/2009-O.L.(Impl.II)

Government of India

Ministry of Home Affairs

Department of Official Language

RAJIV GANDHI NATIONAL AWARDS SCHEME FOR ORIGINAL BOOK WRITING ON GYAN-VIGYAN FOR THE YEAR 2008-09

Under the Rajiv Gandhi National Awards Scheme for Original Book Writing on Gyan-Vigyan, awards are given by Ministry of Home Affairs, Department of Official Language for writing original books in Hindi on subjects relating to different streams of technology/science. Under the award scheme, entries are invited for the year 2008-09.

1. Eligibility and Conditions

1. The book may be on any stream of modern Technology/Science. For example : -
 - a. Engineering, electronics, computer science, physics, biology, energy, space science, medical science, chemistry, information technology, management, psychology etc.
 - b. Contemporary subjects such as liberalisation, globalisation, consumerism, human rights, pollution etc.
2. Under the scheme, books published during 01 April, 2008 to 31 March, 2009 are acceptable.
3. Any citizen of India can take part in the Award Scheme.
4. The book should be an analytical review of the subject it deals with. Books written in the form of novel, story, play etc. or text books written for schools will not be considered .
5. If a person has received a prize under the Scheme during the preceding three years for which entries have been invited, his book shall not be considered for award for that particular year.
6. The book should contain at least 100 pages.
7. If the Evaluation Committee arrives at the conclusion that none of the books, sent as entries, is suitable for the award, its decision in this regard will be considered as final.
8. In case, a book selected for the award is written by more than one writer, award money will be distributed among them equally.
9. Books which have already received any other award, will not be considered in this scheme. Before the declaration of awards under this scheme, if the book is awarded under any other scheme, it is imperative that the intimation of this is given to the Department of Official Language by the author, immediately.

2. Awards

First Prize(One) - Two Lakh Rupees, a Certificate and a memento.

Second Prize (One) - One Lakh Twenty Five Thousand Rupees, a Certificate and a memento.

Third Prize (One) - Seventy five Thousand Rupees, a Certificate and a memento.

Consolation Prizes (Ten) - Ten Thousand Rupees, a Certificate and a memento to each winner.

3. Procedure for sending the entry

- (i) Entries must be sent along with the proforma given at the annexure otherwise it will not be possible to accept them.
- (ii) Please send three copies of each book for each entry. The books can not be returned.
- (iii) A writer may send more than one entry for consideration provided that their subject matter is different .
- (iv) The entries must reach the Department of Official Language by post on or before 20 August. 2009.
- (v) Address for sending the entry – ‘Research Officer(Impl.), Implementation-2 Section, Department of Official Language, Second floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi – 110003.’
- (vi) Entries received after the prescribed date will not be considered.

4. Evaluation Committee

- (i) An Evaluation Committee will consider the entries.
- (ii) Close relatives of the participating writers, will not be considered for inclusion in the Evaluation Committee.
- (iii) The Evaluation Committee reserve the right to obtain views of the expert(s) of the concerned subject before giving its decision regarding a book.
- (iv) The Evaluation Committee will set the criterion for evaluation.
- (v) In case of any difference of opinion regarding conferring of award, the matter will be decided by a majority vote. If there are equal number of votes in favour of or against a decision, the Chairman will have the right to cast a decisive vote.

5. Declaration and distribution of awards

- (i) Decision regarding the award will be intimated through a letter to all the awardees.
- (ii) Awards will be distributed on the date fixed by the Department of Official Language. Awardees coming from places other than the place fixed for distribution of awards will get 2nd A.C. rail fare for travelling and daily allowance for stay as per rules of the Govt. of India .

6. General :

- (i) The writer will continue to have his copyright on the awarded book.
- (ii) There will be no correspondence regarding conferment of the award or procedure for selection of a book for the award.
- (iii) The decision of the Evaluation Committee will be final.
- (iv) Information about this scheme is available on our website <http://rajbhasha.gov.in>

7. Right to relax Regulations

If the Central Government deems it necessary or appropriate, it may relax any of the provisions of these regulations by an order and after recording the reasons therefor.

(Chander Prakash) Deputy
Secretary to the Govt. of India
Phone : 24617764

PROFORMA

RAJIV GANDHI NATIONAL AWARDS SCHEME FOR ORIGINAL BOOK WRITING ON GYAN-VIGYAN FOR THE YEAR 2008-09

1. Name of the book
2. Stream/Subject of the book
3. (i) Name of the writer/writers
- (ii) Full Address(with pincode).....
- (iii) Telephone/Fax No.
- (iv) E-Mail Address
4. (i) Name of the publisher
- (ii) Full Address of the publisher
- (iii) Price
- (iv) Year of publishing
- (v) Copyright is with whom
5. Had the book been sent for any other competition previously? If yes, please give full details thereof :-
 - (a) When sent
 - (b) to whom sent (complete address)
 - (c) Had any award been given? If yes, give full details
6. Has the author won any award under the Rajiv Gandhi National Awards Scheme For Original Book Writing On Gyan-Vigyan? If yes, give following details:-
 - (i) Name of the prize winning book
 - (ii) Year of the prize
 - (iii) Amount of prize
 - (iv) Year of publishing of the book
 - (v) Full address of publisher
 - (vi) Price of book
7. I/We certify that
 - (i) I/We am/are Indian citizen(s)
 - (ii) The book has been written originally in Hindi by me/us.
 - (iii) The copyright of any other person is not violated by entering my/our book in this scheme.

I/We promise to abide by the provisions of the regulations of the Rajiv Gandhi National Award Scheme for original book writing on Gyan-Vigyan.

Place:

Date:

Signature of Author/Authors

Note:- This form duly filled in along with three copies of the book may be sent to ‘Research Officer(Impl.), Implementation-2 Section, Department of Official Language, IInd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi-110003